द्वितीय अध्याय

हिंदी भाषा का प्रयुक्तिपरक अध्ययन

2.1 भूमिका

भाषा एक सामाजिक वस्तु है। व्यक्ति इसका प्रयोग एक सामाजिक सदस्य के रूप में करता है। व्यक्ति को समाज में कई भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। संप्रेषण के लिए उसे भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग को प्रयुक्ति या रजिस्टर कहते हैं। भाषा में प्रयोजन के अनुसार भेद होते हैं। विषयगत, संदर्भगत तथा भूमिकागत प्रयोगों के कारण भाषा-प्रयोग में अनेक भेद होते हैं, उन्हें भाषाविज्ञान के क्षेत्र में भाषा-प्रयुक्ति कहा जाता है।

आज हिंदी सिर्फ साहित्यिक भाषा नहीं है, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसकी प्रयुक्ति हो रही है। विज्ञान, पत्रकारिता, व्यवसाय, प्रशासन आदि क्षेत्रों में हिंदी के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। हिंदी के विभिन्न रूपों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है- (1) सामान्य हिंदी (2) साहित्यिक हिंदी तथा (3) प्रयोजनमूलक हिंदी।

इस अध्याय में प्रयुक्ति का स्वरूप, तत्व एवं विशेषताओं को अंकित किया है। साथ ही हिंदी भाषा की विविध प्रयुक्तियाँ, जैसे- साहित्यिक, प्रशासनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक आदि का विवरण प्रस्तुत किया है।

2.2 प्रयुक्ति : संकल्पना एवं स्वरूप

विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में मानव के भाषिक व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसे समझाने का प्रयास ही प्रयुक्ति की संकल्पना का आधार है। शब्दावली और भाषागत संरचना को प्रयुक्ति का मुख्य आधार माना गया है। आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा को देखने की दो दृष्टियाँ प्रचलित हैं। एक दृष्टि वह बताती है कि 'भाषा क्या है' ? उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है ? और संरचना के उसके नियम क्या हैं ? दूसरी दृष्टि भाषा के व्यावहारिक पक्ष से संबद्ध होकर यह बताती है भाषा किन प्रयोजनों को साधती है ?

उसके प्रयोक्ता भाषा से क्या कार्य लेते हैं? भाषा अध्ययन की इस दृष्टि से ही प्रयोग के स्तर पर विषयपरक या व्यवहार क्षेत्र बाधित भाषा रूपों को प्रयुक्ति (Register) की संज्ञा दी है। भाषा प्रयुक्ति एक प्रकार का सीमित भाषा रूप है। व्यावहारिक स्तर पर प्रयुक्त भाषा अपने व्यापक रूप में व्यवहृत होती है।

डॉ. दिलीप सिंह के अनुसार- ''विभिन्न भाषा रूपों के दो संदर्भ होते हैं। एक तो 'भाषा शैली का संदर्भ'- जिसके अंतर्गत यदि हिंदी को रखकर देखें तो उसकी साहित्यिक शैलियाँ उच्च हिंदी, उच्च उर्दू, हिंदुस्तानी हमें दिखाई देती हैं, जिसका प्रयोग एक ही विषय क्षेत्र में विकल्पगत किया जा सकता है। दूसरा 'भाषा प्रयुक्ति का संदर्भ है', जो व्यावहारिक कार्य क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा रूपों से जुड़ता है, अर्थात यह शैली अपने व्यवहार क्षेत्र से बंधी होती है, जिसमें विषय से संबद्ध विशिष्ट शब्दावली, अभिव्यक्ति और वाक्य संरचना का प्रयोग होता है। इन चर्चाओं से स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता संबंधी लेखन, वैज्ञानिक लेखन, व्यावसायिक लेखन, कृषि की भाषा, विमान पत्तन पर उद्घोषणा की भाषा, टेलिफोन ऑपरेटर की भाषा आदि को प्रयुक्तिगत भेद (Registeral variety) कहा जा सकता है। इसके विपरीत वार्ताप्रकार से संबद्ध भाषा भेदों को शैलीय भेद (Stylistic variation) कह सकते हैं।''[1]

विषय के अनुकूल भाषा प्रयोग के रूपों को प्रयुक्ति की संज्ञा दी गयी है। कामकाजी भाषा के जितने क्षेत्र होंगे, 'प्रयुक्ति' के भी उतने ही विविध रूप होंगे। विषयगत तथा प्रयोगगत विविधता ही 'प्रयुक्ति' कहलाती है। व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या की दृष्टि से प्रयुक्ति शब्द 'युज' धातु में 'प्र' उपसर्ग और स्त्रियाँ- क्तिन प्रत्यय से बनता है। इस शब्द का अर्थ है युक्तिपूर्वक प्रयोग में लाया हुआ।

'प्रयुक्ति' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द 'रजिस्टर' के हिंदी पर्याय के रूप में आया है। 'रजिस्टर' की संकल्पना ब्रिटिश स्कूल के 'फर्थ' के अनुयायी भाषाविज्ञानियों की देन है। इनमें रीठ, हैलिडै, मैकिनतोश, स्टींनज, कैटफर्ड आदि प्रमुख हैं। अमेरिका भाषा विज्ञानियों में भी इस संकल्पना के प्रयोग के उदाहरण मिल जाते हैं। बर्नस्टीन ने भाषा-भेदों को सीमित कोड तथा विस्तृत कोड की संज्ञा दी। बर्नस्टीन के सीमित कोड को प्रयुक्ति (रजिस्टर) का पर्याय माना

जाता है। फर्गुसन तथा गंपर्ज (1960) रजिस्टर की स्थिति एवं भूमिकागत 'भाषा-परिवर्तन' के रूप मानते हैं।

2.2.1 प्रयुक्ति : परिभाषाएँ

'प्रयुक्ति' संबंधी कुछ परिभाषाएँ निम्नानुसार है-

1. रीड के अनुसार- ''कोई भी व्यक्ति भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से समरूप स्थितियों में समरूप व्यवहार नहीं करता। विभिन्न सामाजिक स्थिति में उसका व्यवहार (भाषिक) बदलता जाता है। वास्तव में वह विभिन्न भाषा प्रयुक्तियों का प्रयोग करता है।''[2]

2. हैलिडे के अनुसार- ''भाषा समुदाय में विभिन्न वर्ग विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं। एक अन्य दिशा में भी भाषा के विविध रूपों की चर्चा की जा सकती है- प्रयोग भेद की दिशा में। भाषा में प्रयोजन के अनुसार भेद होते हैं। विभिन्न स्थितियों में उसमें भेद आ जाते हैं। प्रयोजन के आधार पर भाषा के स्वरूप भेद को जो नाम दिया जाता है, उसे 'रजिस्टर' कहते हैं।''[3]

3. डॉ. भोलानाथ तिवारी- ''जब किसी भाषा का प्रयोग विभिन्न विषयों में होता है तो उसके तरह-तरह के रूप विकसित हो जाते हैं जिन्हें 'प्रयुक्ति' कहते हैं।''[4]

4. डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव- ''किसी निश्चित परिस्थिति में सामाजिक दायित्व के निर्वाह के निमित्त वक्ता द्वारा प्रयोग में लाई गई भाषा शैली ही प्रयुक्ति है।''[5]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विषयों में प्रयुक्त भाषा रूप अलग-अलग होते हैं। हम भाषा के जिस रूप का प्रयोग साहित्य लेखन में करते हैं, उसी का प्रयोग प्रशासन में नहीं करते। वाणिज्य, विधि व न्याय, तकनीकी, खेलकूद तथा बोलचाल इन सभी क्षेत्रों में भाषा रूप अलग-अलग होते हैं। विषय क्षेत्र के परिवर्तन से भाषा रूप बदलते हैं।

इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति विभिन्न सामाजिक भूमिकाएँ निभाता है। जब इन विभिन्न संदर्भों में भाषा का व्यवहार किया जाएगा तो भाषा का रूप हर

स्थिति एवं संदर्भ में अलग-अलग होगा। वास्तव में भाषा प्रयोजन, स्थिति-संदर्भ के परिवर्तनशील अंतःसंबंधों से निर्मित होती है और प्रयुक्ति प्रयोजनशील विविधताओं से निर्मित होती है। प्रयुक्ति के संकल्पना के साथ सामाजिक भूमिका की संकल्पना जुड़ी होती है। एक व्यक्ति परिवार का मुखिया या मोटर चालक, क्रिकेट का खिलाड़ी या प्रोफेसर भी हो सकता है। इन भूमिकाओं के निर्वाह में वह विभिन्न भाषा रूपों का प्रयोग करता है।

2.2.2 प्रयुक्ति : संकल्पना

प्रयुक्ति का शाब्दिक अर्थ है- प्रयुक्त, प्रयोग में लाया हुआ + इ (प्रत्यय)। किसी भाषा का वह रूप जो किसी कार्य-क्षेत्र या विषय-विशेष में बार-बार प्रयुक्त होने के कारण उस कार्य-क्षेत्र की भाषिक विशिष्टता का रूप ग्रहण कर लेता है, उसे उस कार्य-क्षेत्र या विषय विशेष की 'प्रयुक्ति' कहा जाता है। जैसे- सब्जीमंडी के व्यापारी, न्यायाधीश, प्रोफेसर या वस्त्र विक्रेताओं के अपने अलग वाक्यांश, पदबंध, मुहावरे या शब्दावली होती है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े नेता, अधिकारी चुनावी भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे, नवयुवक, वृद्ध, कृषक आदि विभिन्न स्तरीय लोगों के भाषा-रूप अलग-अलग होते हैं।

भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक मान्यता यह है कि भाषा मूल रूप से विषमरूपी होती है, समरूपी नहीं। समाज के विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों और कार्य क्षेत्रों में एक ही भाषा का प्रयोग होने पर भी हर व्यवहार क्षेत्र का भाषा रूप दूसरे से भिन्न होता है। उसकी शब्दावली, शैली, वाक्य-रचना तथा अभिव्यक्तियाँ एक विशिष्ट प्रकार की होती हैं। भाषा प्रयोग में आने से विषमरूपी हो जाती है। विभिन्न व्यावहारिक संदर्भों, स्थितियों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न रूप ग्रहण कर लेती है। भाषाभेदों को उचित संदर्भ देने के लिए ही समाज भाषा विज्ञान में प्रयुक्ति की संकल्पना की गई है। इसी संकल्पना के आधार पर भाषाई भेदों को व्यवस्थाबद्ध करने का प्रयत्न हुआ है। भाषाई भेद हर भाषा की नियति है। भाषाई भेद की वास्तविकता को मानकर ही भाषा सिद्धांत का निर्माण करना उचित है। भाषा भेद प्रकार्यात्मक अथवा प्रयोगमूलक स्तर पर किया जाता है। जिसमें विभिन्न विषयों अथवा कार्यक्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा एक विशिष्ट प्रकार की प्रयुक्ति कहलाएगी। जैसे कार्यालय,

विज्ञान, वाणिज्य, बैंक, चिकित्सा, पत्रकारिता, विधि आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त विशिष्ट प्रकार के भाषारूप अलग-अलग प्रयुक्तियाँ है। मातृभाषा होने पर भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा की सभी प्रयुक्तियों से परिचित नहीं होता है। विशेष रूप से उन प्रयुक्तियों से, जिनका संबंध औपचारिक, शास्त्रीय था संस्थागत व्यवहार-क्षेत्रों में होता है। कोई भी भाषा अपनी प्रकृति में एक लचीली व्यवस्था होती है। परिस्थितिवश भाषा प्रयोक्ता इस लचीली व्यवस्था में परिवर्तन लाकर भाषाभेद को जन्म देता है और यही भेद प्रयुक्ति का आधार होता है। भाषा की विकास यात्रा में उसके परिनिष्ठित रूप के प्रयोग में उसकी प्रयुक्तियों का विशेष महत्व होता है। विविध भावों की विभिन्न किंतु स्वतंत्र प्रयुक्तियाँ होती हैं। अलग विषयों मानक भाषा की व्याकरणगत संरचना होने के बावजूद विशिष्ट क्षेत्र विधा अथवा विषय आदि में सक्षम अभिव्यक्ति के लिए भाषाविशेष की प्रयुक्तियों को सीखना और आत्मसात करना पड़ता है। इसके लिए उस भाषा के संपर्क में होने के साथ-साथ उसका भाषिक अध्ययन एवं अनुशीलन किया जाना आवश्यक होता है। भाषा के इन विशिष्ट रूपों या प्रयुक्तियों में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आजकल कई पाठयक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यालयीन या बैंकिग हिंदी का अध्ययन-अध्यापन इसी प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। भाषा के प्रयोक्ता निश्चित परिस्थिति में बँधकर विषयानुसार जिस भाषा भेद को जन्म देते हैं। वस्तुतः वही प्रयुक्ति का आधार होता है।

हिंदी प्रयुक्तियों में तीनों शौलियों, यथा- उच्च हिंदी, उच्च उर्दू और हिंदूस्तानी का मिल-जुला प्रयोग होता है। एक ओर उच्च हिंदी शैली के अनुदान, वाहक, विकल्प, पंजीकरण, पृष्ठांकन आदि का प्रयोग, दूसरी ओर उच्च उर्दू शैली के अमानत, दस्तावेज, जालसाजी, मुआवजा, पेशगी आदि का प्रयोग तथा तीसरी ओर भाड़ा, कटौती, बिकाऊ, टिकाऊ जैसे बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हिंदी प्रयुक्तियों की समन्वित भाषा प्रयोग का अच्छा उदाहरण है।

प्रयुक्ति के निर्माण में दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य शब्दों के विषय संदर्भित विशिष्ट अर्थ देने की प्रक्रिया को विज्ञान की प्रयुक्ति में वेग, बल, गति, तना, छाल, स्तनपायी, परागण आदि उदाहरणों द्वारा तथा व्यावसायिक प्रयुक्ति में द्रव्य, चालू, योग, संपत्ति आदि के उदाहरणों द्वारा देखा जा सकता है। इसके साथ ही निविदा (Tender)

संकाय (Faculty) आदि निर्मित शब्दों का भी हिंदी प्रयुक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी की भिन्न प्रयुक्तियों में भिन्न भाषा रूप प्रयोग की स्थिति है जो क्रमशः विकसित होते हुए स्थिर होने लगी है।

व्यावसायिक प्रयुक्ति (बाजार समाचार)	जनसंचार की प्रयुक्ति (फिल्म पत्रकारिता)	कार्यालयी प्रयुक्ति	जनसंचार माध्यम की प्रयुक्ति (विज्ञापन)
शेयरों में सुधार	हिट फिल्म	जमा कर दें	डर्मिकूल : ठंडा ठंडा, कूल कूल
सोना उछला	फिल्म टिकट पर पिटी	अनुमति दी जा सकती है	टाटा नमक : देश का नमक
चना-चावल गरम	मुहूर्त संपन्न	सूचित किया जाता है	वाह ताज
चाँदी लुढ़की	'पा' का प्रीमियर	पत्र को घुमाया जाय	कुरकुरे : टेढ़ा है पर मेरा है
दाल तेज	बच्चन ने क्लैप दिया	गोपनीय	डिश टी. व्ही : घर आयी जिंदगी

भाषा का विकास सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और भाषा सेवा माध्यमों से जुड़ जाती है। भाषा व्यक्ति से हटकर समाज सापेक्ष हो जाती है। भाषा के विकास से तात्पर्य 'आधुनिकता' से भी है और 'भाषा की 'आधुनिकता' के अंतर्गत मुख्यतः समाहित हैं-(1) शब्दावली में वृद्धि और (2) नई शैली तथा अभिव्यक्तियों का विकास।

सामान्य स्तर पर भाषा का स्वरूप एक है। पर कामकाजी रूप में भाषा का व्यावहारिक पक्ष उभर कर आता है और प्रयोग के प्रत्येक क्षेत्र में उसका व्याकरण भी कुछ भिन्न हो सकता है। शब्दावली तथा अभिव्यक्तियाँ तो भिन्न होती ही हैं। प्रयोग विषय के अनुकूल भाषा रूपों को ही 'प्रयुक्ति' (रजिस्टर) की संज्ञा दी गई है। कामकाजी भाषा के जितने ही विविध क्षेत्र होंगे 'प्रयुक्ति' के भी उतने ही विविध रूप होंगे। प्रयुक्तियों में भेद विषयगत तथा प्रयोगगत होता है। 'बैंक' की भाषा न्यायालय में प्रयुक्त विधि की भाषा से भिन्न होती पर 'अर्थशास्त्र' के आर्थिक कार्य विभाग की प्रयुक्ति अधिक व्यापक होगी जिसमें बैंकों में प्रयोग आनेवाली शब्दावली/ अभिव्यक्तियाँ भी सम्मिलित होंगी। किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण सामान्य

भाषा-मानक भाषा-विशिष्ट भाषा बन जाती है। विशिष्ट भाषा के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया 'विशिष्टीकरण' कहलाती है।

'भाषा प्रयुक्ति' भी कामकाजी हिंदी में प्रयोग के स्तर पर दो प्रकार के स्वरूप ले लेती है- भाषा प्रयुक्ति शैली तथा भाषा प्रयुक्ति। शैलीगत भेद भी महत्वपूर्ण होता है। एक ही शब्द के स्थान पर अनेक प्रचलित पर्यायों में उपयुक्त शब्द का चुनाव करना पड़ता है जिसे शैली विज्ञान में 'चयन' की संज्ञा दी गई है। उदा. अंग्रेजी शब्द 'आउटस्टैंडिग' के लिए अनेक शब्द मिलते हैं- असाधारण, अनुपम, अनूठा, बेजोड़ बेमिसाल, अपूर्व अदि।

समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के बल पर हिंदी के प्रयोजनमूलक क्षेत्रों और उनकी प्रयुक्ति को पहचानते हैं। यथा- वाणिज्य-व्यापार की प्रयुक्ति, प्रशासन की प्रयुक्ति, पत्रकारिता या संचार माध्यमों की प्रयुक्ति, विधि-प्रयुक्ति, विज्ञान की प्रयुक्ति आदि प्रयुक्तियाँ स्थिति-संदर्भ के अनुसार जीवन के कार्य क्षेत्रों के आधार पर निर्मित प्रयुक्तियाँ होती हैं। जैसे- विधि प्रक्रिया से संबद्ध विभिन्न व्यक्ति- न्यायाधीश, वकील, मुहर्रर, पेशकार, चपरासी, वादी-प्रतिवादी, विधिवेता। विधी विशेषज्ञ, विधि-शिक्षक, विधि-छात्र, विधि-प्रशिक्षु। ये सभी लोग, विधिक प्रक्रिया के विशिष्ट संदर्भों में जिस विशिष्ट शब्दावली तथा वाक्यावली का प्रयोग-व्यवहार करते हैं, उसके संयुक्त रूप से विधिक भाषा की प्रयुक्ति का निर्माण होता है।

2.3 भाषा प्रयुक्ति के तत्व तथा वर्गीकरण

भाषा प्रयुक्ति के कुछ विशेष तत्व होते हैं। प्रयुक्ति के तत्व निम्नलिखित हैं।

2.3.1 प्रयुक्ति के तत्व

प्रयुक्ति के तीन प्रमुख तत्व होते हैं -

2.3.1.1. प्रयुक्ति विशेष की शब्दावली

अलग-अलग प्रयुक्तियों की शब्दावली परस्पर अलग होती है। जो शब्दावली साहित्य में प्रयुक्त होती है वह प्रशासनिक भाषा में प्रयुक्त नहीं होती है। जैसे- अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, प्रतीकात्मकता, परिनिष्ठित आदि शब्दों का प्रयोग एक विशेष प्रयुक्ति के अंतर्गत होता

है। इन शब्दों का प्रयोग वैज्ञानिक भाषा में नहीं होता। कार्यालयों में प्रयुक्त होनेवाली शब्दावली विशिष्ट और पारिभाषिक होती है। विभिन्न राजकीय, सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में अपने-अपने प्रयुक्ति क्षेत्रों के अनुरूप कार्यालयी शब्दावली का प्रयोग होता है। सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की प्रशासनिक शब्दावली एक-सी नहीं होती है। विश्वविद्यालय के कार्यालय में प्रयुक्ति होने वाले पद और शब्द इस्पात कारखाने के कार्यालय में नहीं होते। प्रयुक्ति का 'प्रयुक्ति विशेष की शब्दावली' सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है। प्रयुक्ति निर्धारण में शब्दावली प्रमुख आधार मानी जाती है क्योंकि विषय विशेष की विशिष्ट शब्दावली ही प्रयुक्ति कहलाती है। जैसे- हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सिजन, गति, बल, गुरूत्वाकर्षण, अणुगति, त्वरण, विद्युतिकी, लोलक, मापन, ऊष्मा आदि विज्ञान विषय की विशेष शब्दावली है।

2.3.1.2. विशिष्ट शाब्दिक अन्विति

प्रयुक्ति का दूसरा प्रमुख लक्षण उसकी शाब्दिक अन्विति है। विषय विशेष की भाषा में हम विशिष्ट शब्दिक अन्विति के प्रयोग देखते हैं। लिखित हिंदी में कई बार एक ही वाक्य में संस्कृत और फारसी-अरबी अथवा संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का साथ-साथ प्रयोग होता है। प्रयुक्ति-विशेष में ऐसे प्रयोग अस्वाभाविक नहीं लगते। जैसे- 'मसौदा अनुमोदन के लिए पेश है' इस वाक्य में 'मसौदा अनुमोदन के लिए पेश करना' यह रूप कार्यालयीन हिंदी की शाब्दिक अन्विति को दर्शाता है।

2.3.1.3. भाषा-संरचना

किसी भाषा की वाक्य-संरचना से तात्पर्य ऐसे गठन से है जिसमें कुछ घटक उस भाषा की व्यवस्था का अनुगमन करते हुए परस्पर मिल कर 'वाक्य' का निर्माण करते हैं। यह व्यवस्था उस भाषा व्याकरणिक संबंध से जुड़ी होती है। वाक्य के ये घटक कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण आदि कहलाते हैं। ये सब वाक्य में एक विशेष क्रम से जुड़े होते हैं। वाक्य-विन्यास के

स्तर पर ये घटक एक-दूसरे से संबद्ध रहते हैं, जैसे- 'किसान जमीन खोद रहा है।' (कर्ता + कर्म + क्रिया)।

हिंदी की विविध प्रयुक्तियों में विशिष्ट भाषा संरचना दिखाई देती है। प्रशासनिक हिंदी की भाषा संरचना में व्यक्ति निरपेक्षता के साथ कर्म वाच्य प्रधान वाक्य होते हैं। जैसे- पैसों का भुगतान कर दिया है। इस बैंक में हिंदी में चेक स्वीकार किए जाते हैं।

वैज्ञानिक प्रयुक्ति में भाषा अभिधात्मक होती है। जैसे- न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाया।

उपर्युक्त वाक्य अभिधात्मक भाषा में है। 'गुरुत्वाकर्षण' शब्द वैज्ञानिक प्रयुक्ति का पारिभाषिक शब्द है। साहित्यिक प्रयुक्ति में मुहावरे, अलंकार, लोकोक्तियाँ, लक्षणा-व्यंजना का प्रयोग मिलता है। साहित्य की भाषा में भावों की प्रधानता, शब्दों की कोमलता, अलंकृत भाषा शैली का प्रयोग होता है। जैसे-

(1) मानव जीवन पानी के बुलबुले के ही सदृश है। उपर्युक्त वाक्य में 'पानी का बुलबुला' इस मुहावरे का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है- 'क्षणिक होना।'

(2) ''अरे इन दोऊन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुरकन की तुरकाई''[६] उपर्युक्त कबीर के दोहे में भाषा की संरचनात्मक विशिष्टता दिखायी देती है। कबीर ने व्यंग्यात्मक शैली में हिंदू-मुस्लिम दोनों के धार्मिक और बाह्याडंबरों पर करारा व्यंग्य प्रहार किया है।

2.3.2 प्रयुक्ति का वर्गीकरण

हैलिडे, स्ट्रीवंज और मैकिनतोश ने प्रयुक्तियों को तीन आयामों में वर्गीकृत किया है- वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार तथा वार्ता शैली

2.3.2.1 वार्ता क्षेत्र

क्षेत्र की दृष्टि से प्रयुक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तकनीकी तथा गैरतकनीकी दृष्टि से विषय बदलता है। विषय के अनुसार भाषा का स्वरूप भी बदलता है। क्षेत्र के साथ विषय का भी प्रभाव पड़ता है। भाषा रूपों में विषय के तकनीकी या अतकनीकी होने के कारण प्रयोगगत भेद दिखाई देते हैं। अर्थात् विषय-क्षेत्र के द्वारा भी प्रयुक्तियों का निर्माण व निर्धारण होता है। जिस विषय की भाषा में विषय के सिद्धांतों की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी शब्दावली का प्रयोग है, उसे तकनीकी प्रयुक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्साशास्त्र, विद्याशास्त्र आदि के भाषा रूप तकनीकी प्रयुक्ति में आते हैं। गैरतकनीकी भाषा रूप में साहित्य, पत्रकारिता को रख सकते हैं।

2.3.2.2 वार्ता प्रकार

वार्ता प्रकार में भाषा को दो रूपों में विभाजित किया जाता है। इसमें भाषा को मौखिक और लिखित रूपों में विभाजित किया जाता है। भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों में अंतर होता है। हमारी बातचीत में संप्रेषण का स्वरूप मौखिक होता है। संगोष्ठी, सम्मेलन में वक्ता मौखिक रूप में ही अपने विचार श्रोता तक पहुँचाता है। भाषा का प्रारंभिक और बहुप्रयुक्त रूप मौखिक वार्ताप्रकार है। गीत, संगीत, प्रार्थना, पूजा आदि में मौखिक वार्ता प्रकार का ही प्रयोग होता है। मौखिक भाषा शिक्षित एवं अशिक्षित सभी लोगों की होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील एवं गतिशील होती है। लिखित भाषा व्यवस्थित एवं संपादित होती है। इस दृष्टि से तकनीकी भाषा प्रायः लिखित रूप में ही प्रकट होती है। कार्यालय की भाषा भी मुख्यतः लिखित होती है। लिखित भाषा में पूर्ण शब्दों को सही वर्तनी के साथ लिखा जाता है। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में प्रसारित समाचारों की भाषा लिखित होती है पर उसका पठित या मौखिक रूप सामने आता है।

2.3.2.3 वार्ता शैली

शैली के अनुसार भाषा व्यवहार में संलग्न व्यक्तियों के संबंधों के आधार पर दो भाषा रूपों को निर्धारित किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक। इन दो भाषा रूपों को वार्ता

शैली के अंतर्गत देखा जाता है। विज्ञान, इंजीनियरी, विधि और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विषय तकनीकी, लिखित और औपचारिक शैली रूप होंगे। कार्यालय, बैंक आदि तकनीकी या अर्धतकनीकी, लिखित और अनौपचारिक होंगे। विज्ञापन प्रयुक्ति, पत्रकारिता में तकनीकी-गैरतकनीकी, लिखित-मौखिकी, औपचारिक-अनौपचारिक दोनों रूप मिलेंगे।

मार्टिन जज ने अंग्रेजी में सामाजिक संबंधों के आधार पर वार्ताशैली के पाँच भेद बनाये हैं- (1) रूढ़िगत : जैसे- साहिल के शुभ विवाह पर आप सादर निमंत्रित है। (2) औपचारिक : जैसे- साहिल के विवाह में आप अवश्य पधारे। (3) सामान्य : जैसे- साहिल के विवाह में आप जरूर आइएगा। (4) अनौपचारिक : जैसे- साहिल की शादी में तुम जरूर आना। (5) घनिष्ठ : जैसे- साहिल की शादी में तुम्हे आना ही है।

कमलकुमार बोस के अनुसार- ''सामाजिक स्तरों और संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भाषा की मुख्य रूप से पाँच शैलियाँ स्वीकृत की गई हैं- रूढ़िगत, औपचारिक, सामान्य, अनौपचारिक और अंतरण।''[7] तकनीकी भाषा रूप प्रायः रूढ़िगत, औपचारिक और सामान्य होते हैं लेकिन गैर-तकनीकी रूप औपचारिक, सामान्य तथा अनौपचारिक आदि शैलियों में मिलते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में विज्ञापन की भाषा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शैलीयों में मिल जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हिंदी के मानक रूप को शक्ति और सामर्थ्य भाषाई भेद और प्रयुक्तियों से ही प्राप्त है। हिंदी की विकास यात्रा में भाषिक रूपों और प्रयुक्ति के तत्वों का अधिक योगदान है।

2.3.3 भाषा प्रयुक्ति की विशेषताएँ

1) प्रयुक्तियों का प्रचलन-क्षेत्र साहित्य, प्रशासन, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, पत्रकारिता, विज्ञापन, खेलकूद, बोलचाल आदि असीमित हैं।

2) प्रायः प्रयुक्तियों की भाषा अर्जित, तथ्यपरक, सामान्य जनजीवन में दैनिक कार्यों के संपादन में सक्षम विशेष कार्यों के अनुकूल स्वरूप की होती है।

3) अधिकतर प्रयुक्तियों में शब्दों की एकार्थता और निश्चयात्मकता प्रमुख होती है।

4) बोलचाल की हिंदी के अतिरिक्त अन्य प्रयुक्तियों में औपचारिकता और भाषिक मानकता भी इसका विशिष्ट गुण है।

5) प्रयुक्ति-विशेष के लिए औपचारिक प्रक्षिक्षण की भी आवश्यकता होती है।

6) सभी प्रयुक्तियों की अपनी विशेष और पृथक शब्दावली होती है।

7) प्रयुक्तियों की वाक्य-रचना भी विशिष्ट होती है। जैसे राजभाषा प्रयुक्ति में आदेशात्मक, सूचनात्मक, सुझावात्मक, वैधानिक, कथनात्मक, वाक्यों का प्राधान्य रहता है।

8) प्रायः प्रयुक्तियों में विचार प्रमुख होता है, संवेदना नहीं। जैसे- राजभाषा प्रयुक्ति अभिधा शक्ति पर टिकी रहती है। इसमें औपचारिक शिष्टता रहती है। अलंकारिकता से दूर रहती है। इसमें कर्मवाच्य वाक्यों की प्रधानता रहती है। अधिकतर संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि आदेशात्मक, सूचनात्मक तथा सुझावात्मक भाव आएँ।

9) प्रयुक्तियों का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण वह भिन्न क्षेत्रों में विकसित होती है और उनकी क्षमता भी अधिक होती है।

10) प्रयुक्तियों को प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थितियों में होता है।

11) पारिभाषिक शब्दावली भाषा-प्रयुक्ति की एक प्रमुख विशेषता है। भाषा प्रयुक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनका अर्थ उन शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में अनुकूल होता है।

12) बोलने की भाषा- प्रयुक्ति एवं लिखने की भाषा प्रयुक्ति में भेद पाया जाता है।

13) भाषा-प्रयुक्ति एक भाषा-रूप ही है। भाषा-रूप में अभिव्यक्त शैली की अपनी एक विशिष्ट भूमिका होती है। भाषिक अभिव्यक्ति में 'लहजा' का भी अपना एक महत्व होता है, जो अभिव्यक्ति के अनुसार प्रयुक्त होता है।

2.5 हिंदी भाषा की विविध प्रयुक्तियाँ

भाषा की प्रकृति, संरचना और प्रयुक्ति की सारी दिशाएँ समाज के विविध कार्य-व्यवहारों से जुड़ी होती हैं। हिंदी भाषा सामाजिक-व्यावहारिक स्तर पर अनेक प्रयुक्तियों का माध्यम बन गई है। प्रयुक्तियों की शब्दावली एवं संरचना इतनी स्पष्ट हो गई है कि आसानी से यह कह सकते हैं कि यह कार्यालयी हिंदी है, यह साहित्यिक हिंदी है, यह न्यायालयीन हिंदी है, यह विज्ञापन संबंधी हिंदी है। अलग-अलग प्रयोजनों एवं स्थितियों के अनुसार हिंदी भाषा की प्रयुक्तियाँ बदलती हैं।

हिंदी भाषा की विविध क्षेत्रों एवं विषयों के अनुसार विविध प्रयुक्तियाँ है। विज्ञान, साहित्य, प्रशासन, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी, न्याय एवं विधि आदि विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न प्रयुक्तियाँ है। प्रत्येक प्रयुक्ति की अपनी अलग विशेषताएँ है जो उसके स्वरूप को स्पष्ट एवं निर्धारित करती हैं।

हिंदी भाषा की विविध प्रयुक्तियाँ और उनके स्वरूप का विवेचन हम करेंगे।

2.5.1 साहित्यिक प्रयुक्ति

हिंदी भाषा की सबसे महत्तम प्रयुक्ति साहित्यिक मानी जा सकती है। साहित्यिक प्रयुक्ति में सामान्य जन के जीवन के साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का दर्शन पाया जाता है। हिंदी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को तीन कालखंडों में विभाजित किया जाता है- (1) प्राचीन काल या भक्तिकाल (2) मध्यकाल या रीतिकाल (3) आधुनिक काल।

हिंदी की साहित्यिक प्रयुक्ति अनेक विधाओं को अपनी विशेषताओं के साथ समेटे हुए है। हिंदी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति संसार की भाषाओं में एक अनूठा उदाहरण है। डॉ. व्रजेश्वर वर्मा के अनुसार- ''भाषा के विविध प्रयोगों में साहित्य सर्जन की भाषा अर्थात् उसका काव्यभाषा का रूप, अपनी विशिष्टता में सबसे अधिक अनोखा होता है। ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों की भाषा की विशिष्टता मुख्यतः उनकी विशिष्ट शब्दावली में अपनी-अपनी अलग पहचान बनाती है।''[8]

पहले साहित्य-सर्जना की भाषा को काव्य-भाषा भी कहा जाता था। क्योंकि उस समय काव्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण साहित्य के लिए किया जाता था। हिंदी साहित्यिक प्रयुक्ति का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। डॉ. व्रजेश्वर वर्मा के अनुसार- ''हिंदी काव्य भाषा का इतिहास लगभग आठ-नौ सौ वर्ष पुराना है। उसका वाक् रूप 1000 ई. के आसपास आरंभ हो गया ऐसा अनुमान किया जाता है। जब अपभ्रंश नाम से अभिहित तृतीय प्राकृत से विकसित होकर आर्य भाषाओं ने अपनी अलग पहचान बनाना शुरू किया।''[9] साहित्यिक प्रयुक्ति की कुछ विशषताएँ निम्नलिखित हैं-

2.5.1.1 साहित्यिक प्रयुक्ति की विशेषताएँ

1) साहित्यिक प्रयुक्ति में शब्द-शक्ति के स्तर पर अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना का और गुण-स्तर पर ओज, माधुर्य तथा प्रसाद तत्व का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। जो साहित्य लक्षणा तथा व्यंजना शक्ति से जितना अधिक पुष्ट तथा परिपूर्ण होता है, उसे उतनी ही उच्च कोटि का साहित्य माना जाता है। निश्चय ही ऐसा साहित्य सौंदर्यानुभूति जगाने तथा रसास्वादन कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसका उदाहरण महादेवी वर्मा के 'क्या पूजा क्या अर्चना रे' नामक कविता में देखेंगे-

''क्या पूजा क्या अर्चन रे !
उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे !
मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे !
पदरज को धोने उमडे, आते लोचन में जलकण रे !

अक्षत पुलकित रोम, मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे !''[10]

महादेवी की उपर्युक्त कविता में अपने प्रियतम प्रति उमडे. माधुर्य भाव के दर्शन होते हैं। महादेवी में प्रेम एवं विरह की सच्ची अनुभूती है किंतु वह काव्य कला का ताना बाना पहनकर आई है।

2) साहित्यिक प्रयुक्ति में सामान्य हिंदी की शब्दावली के साथ साथ साहित्यिक शब्दावली का भी प्रयोग होता है। उदा. पानी, जंगल, दूध, घोड़ा, आँख, इच्छा आदि शब्द बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, किंतु साहित्यिक भाषा में इन्हें क्रम से अरण्य, दुग्ध, अश्व, नयन, अभिलाषा कहा जाता है।

3) साहित्यिक प्रयुक्ति में कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे है जिनका प्रयोग सिर्फ इसी प्रयुक्ति में होता है। जैसे- लक्षणा, व्यंजना, श्लेष, उपमा, वक्रोक्ति, प्रतीक, बिंब, विभाव, अनुभाव, व्याकरण से ग्रहित शब्द समास, कृदंत, तद्धित आदि।

4) साहित्यिक प्रयुक्ति में कुछ ऐसे शब्द है जो हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों में अलग अर्थ में आते हैं। जैसे- व्याकरण के शब्द- संधि, स्वर, धातु आदि।

5) साहित्यिक प्रयुक्ति में प्रतीक, बिंब, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे- ''यदि तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो, तो तुम्हें गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। मिसाल मशहूर है- 'कर सेवा, खा मेवा।''[11]

उपर्युक्त उदाहरण में 'कर सेवा खा मेवा' इस लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। इस लोकोक्ति का अर्थ है- जो बड़ों की सेवा करते हैं, वे सुखी रहते हैं।

6) साहित्यिक प्रयुक्ति में 'संगीतात्मकता' एक मुख्य विशेषता है। यह प्रायः पद्य में होती है और कभी-कभी गद्य में भी होती है। साहित्यिक प्रयुक्ति में 'लयात्मकता' भी होती है। जैसे- ''लाली बन मृदुल कपोलों में
आंखों में अंजन सी लगती
कुंचित अलकों सी घुंघराली

मन की मरोर बनकर जगती।''[12]

उपर्युक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' की है। इसमें प्रसाद जी ने लज्जा मनोभाव का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जो सर्वश्रेष्ठ बन पड़ा है।

7) साहित्यिक प्रयुक्ति में चयन, विचलन, अप्रस्तुत विधान तथा सर्जनात्मकता आदि अन्य विशेषताएँ भी हैं। साहित्यिक प्रयुक्ति में कविता, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी आदि विधाएँ होती हैं। इस प्रकार साहित्यिक प्रयुक्ति में अलंकार, मुहावरे, संगीतात्मकता, सर्जनात्मकता आदि विशेषताएँ हैं।

2.5.2 प्रशासनिक प्रयुक्ति

राजभाषा हिंदी प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी एक महत्वपूर्ण प्रयुक्ति मानी जाती है। हिंदी की यह एक ऐसी प्रयुक्ति है जो कई राज्यों तथा केंद्र के प्रशासन के कामों में प्रयुक्त हो रही है।

हिंदी की अलग-अलग प्रयुक्तियाँ हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार- ''आज हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोलचाल, साहित्य, पत्रकारिता, वाणिज्य, विज्ञान, खेल-कूद तथा प्रशासन में प्रयुक्ति हो रही है, अतः धीरे-धीरे इसके कई रूप विकसित होते जा रहे हैं, जिसे 'प्रयुक्ति' कहते हैं। उदाहरण के लिए बोलचाल की हिंदी, हिंदी की एक प्रयुक्ति तो 'साहित्यिक हिंदी' हिंदी की दूसरी प्रयुक्ति है। ऐसे ही 'प्रशासनिक हिंदी', 'खेलकूद की हिंदी', 'पत्रकारिता की हिंदी', 'वाणिज्य व्यापार की हिंदी' भी हिंदी की अलग-अलग प्रयुक्तियाँ हैं।''[13]

भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा की मान्यता मिली। सरकारी कार्यालयों के कामकाज में प्रशासनिक प्रयुक्ति उपयोगी है।

2.5.2.1 प्रशासनिक प्रयुक्ति की विशेषताएँ

प्रशासनिक प्रयुक्ति की मुख्य विशेषताएँ अधोलिखित हैं।

1) प्रशासनिक प्रयुक्ति में अभिधा शक्ति का प्रयोग अधिकाधिक होता है।

2) राजभाषा हिंदी की अपनी पारिभाषिक शब्दवली है। जैसे-

आयुक्त	(Commissioner)
पौरमुख्य	(Order man)
राष्ट्रपति	(President)
मंत्रालय	(Ministry)
लिपिक	(Clerk)

3) प्रशासनिक प्रयुक्ति में समस्त्रोतीय घटकों से शब्द-रचना का विशेष बंधन नहीं है। इसमें काफी शब्द विषम-स्रोतीय घटकों से भी बने है। जैसे-उपकिरायेदार (Subletting)। इनमें 'उप' संस्कृत उपसर्ग तो -किरायेदारी' फारसी शब्द। कुछ अन्य उदाहरण- अस्टांपित (Unstamped), अरद्द (Uncaneelled)

प्रशासनिक प्रयुक्ति में प्रत्ययों से भी काफी शब्द बने है। जैसे- अनुबंधकदार (Sub Mortgagee)। यहाँ तत्सम शब्द 'अनुबंधक' में फारसी प्रत्यय 'दार' जोड़ा है। कुछ अन्य उदाहरण हैं- मुद्राबंद (Sealed), डिक्रिदार, (Decree holder) स्टांपित (Stamped)

प्रशासनिक प्रयुक्ति में समास-प्रक्रिया से भी शब्द बनते हैं। उदा. मतदान-बूथ (Polling booth), उपस्थिति-रजिस्टार (Attendence Register) कलेंडर-वर्ष (Calender Year) आदि। प्रशासनिक प्रयुक्ति में कभी-कभी तीन स्त्रोतों से शब्द बनते हैं। जैसे- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate)

4) प्रशासनिक प्रयुक्ति एक बहुत बड़ी विशेषता शैली-भेद है। यदि कोई व्यक्ति केवल बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करे तो राजभाषा हिंदी की बोलचाल की शैली सामने आती है, किंतु यदि कोई संस्कृत परंपरा के ही शब्दों का प्रयोग करे तो दूसरी शैली मिलती है। जैसे-

अंग्रेजी शब्द	बोलचाल की शैली	संस्कृतनिष्ठ शैली
Rejeeted Application	नामंजूर अर्जी	अस्वीकृत आवेदनपत्र
Officer	अफसर	अधिकारी
Court	अदालत	न्यायालय

5) प्रशासनिक प्रयुक्ति में कार्यालयीन कामकाज के पत्राचार, टिप्पण, आलेखन, प्रारूपण, संक्षेपण, आदेश, अधिसूचना, विज्ञापन आदि महत्वपूर्ण अंग है। प्रशासनिक हिंदी अपनी प्रकृति में सहज हिंदी से कहीं अधिक, अनुवाद की छाया से युक्त हिंदी है।

6) प्रशासनिक प्रयुक्ति में संक्षेपों का अलग प्रयोग होता है। राजभाषा हिंदी के कार्यालयी रूप में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है।

इस प्रकार प्रशासनिक प्रयुक्ति में पारिभाषिक शब्दावली, अभिधा, शैली-भेद, पत्राचार, कर्मवाच्य की प्रधानता आदि महत्वपूर्ण विशेषताएँ है।

2.5.3 विधि एवं न्यायालयीन प्रयुक्ति

हिंदी भाषा की विविध प्रयुक्तियों में विधि एवं न्यायालयीन प्रयुक्ति भी एक महत्वपूर्ण प्रयुक्ति है। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हर नागरिक का यह अधिकार है कि उसे न्याय अपनी भाषा में ही मिले। डॉ. पूरनचंद्र टंडन के अनुसार- ''आज कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, जनसंचारी हिंदी, समाजी हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी जैसे वर्गों में बाँट कर हिंदी को देख भी रहे हैं। हर क्षेत्र की अपनी शब्दावली हिंदी में विकसित हो रही है, अपनी अपनी प्रयुक्तियों को भी बनाया-अपनाया जा रहा है।''[14]

देश का प्रशासन हिंदी भाषा के माध्यम से चलाने के लिए विधि संबंधी साहित्य का हिंदी में उपलब्ध होना परमावश्यक है। भारत देश में विधिसम्मत शासन है, विधि का शासन है। भारत के राष्ट्रपति से लेकर साधारण नागरिक तक सभी विधि का अनुसरण करने के लिए

बाध्य हैं। विधि की इस आधारिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए विधि के भारतीय भाषाओं में प्रकाशन को भी महत्व दिया गया।

संविधान और अधिनियमों आदि की एक और विशेषता यह है कि इनका अर्थ लगाने का कार्य न्यायालय करते हैं। विधि के द्वारा अधिकारों का सृजन होता है, राज्य की सत्ता पर अंकुश लगाया जाता है, साधारण जन को मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन निर्वाह करने की प्रत्याभूति प्राप्त होती है। इसी महत्ता और विशेषता के कारण विधि के हिंदी पाठ तैयार करने का कार्य उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। जिनके आधार पर मूल प्रारूपण किया जाता है। विधि क्षेत्र में हिंदी का एक कृत्रिम अस्वाभाविक रूप विकसित होता दिखाई देता है। आज जो हिंदी विधि क्षेत्र में प्रयोग में आ रही है, वह सहज रूप से विकसित न होकर कृत्रिम रूप से प्रत्यारोपित और अंग्रेजी के पाठ का अनुवाद बन कर रह गई है। वर्तमान विधि मुख्यतः अंग्रेजी विधि पर आधारित है, जो एक ऐसी भाषा है जिसे समझने में कठिनाई होती है। विधि साहित्य के अनेक अंग है, उनमें से प्रमुख हैं- (1) संविधान, अधिनियम, नियम, विनियम, उपविधियाँ। (2) न्यायालयों के निर्णय और विधानमंडलों के विचारविमर्श। (3) विधि की पुस्तकें। (4) विधिक दस्तावेज (जैसे' पट्टे, विक्रय विलेख, बंधक विलेख और अन्य दस्तावेज आदि। इन सभी क्षेत्रों में भाषा प्रयोग की अपनी अपनी विशेषताएँ होती है। विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को दो रूपों में देखा जा सकता है- (1) न्यायालय की भाषा के रूप में तथा (2) विधि साहित्य लेखन के रूप में।

डॉ. बसंतीलाल बाबेल के अनुसार- ''शीर्षस्थ न्यायालयों के कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। लेकिन सुखद पहलू यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को पर्याप्त महत्व मिला है। हम राजस्थान को ही ले लें, यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों का सारा कामकाज हिंदी में होता है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की है। अब आवश्यकता है कि हिंदी शीर्षस्थ न्यायालयों के कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की है।''[15]

'विधि साहित्य लेखन' पर अनेक प्राधिकृत पुस्तकें उपलब्ध हैं। मुल्ला, रतनलाल, धीरजलाल, डी. डी. बसु, वेन्थम आदि अनेक प्रख्यात लेखकों की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद हो चुका है। विधि साहित्य प्रकाशन, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका एवं न्यायालय निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विधि पत्रिका का प्रकाशन किया जाने लगा है।

विधि के क्षेत्र में हिंदी लेखन कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक पुरस्कार भी प्रतिष्ठित किए गए हैं, यथा- (1) विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का 'राज पुरस्कार'। (2) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का 'प्रत्यक्ष कर साहित्य पुरस्कार'। (3) गृह मंत्रालय, भारत सरकार का 'पं. गोविंदवल्लभपंत पुरस्कार'। (4) उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ का 'मोतीलाल नेहरू पुरस्कार'। (5) मध्य प्रदेश विधान सभा का 'डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति पुरस्कार'। (6) बिहार सरकार का 'डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार। (7) राजस्थान सरकार का 'स्टेट अवार्ड'।

2.5.3.1 विधि एवं न्यायालयीन प्रयुक्ति की विशेषताएँ

विधि एवं न्यायालयीन प्रयुक्ति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1) विधि एवं न्यायालयीन प्रयुक्ति की भाषा अभिधात्मक होती है। इसमें लक्षणा और व्यंजना को स्थान नहीं होता।

2) विधि साहित्य सूचना प्रधान, स्पष्ट, एकार्थक, औपचारिक होती है।

3) विधि क्षेत्र की शब्दावली विभिन्न स्त्रोतों के शब्द मिलते हैं किंतु मुख्यतः आश्रय संस्कृत का ही लिया जाता है। मूल धातु या शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे- 'विधि' शब्द से विधिक, संविधि, संविधाक, विधान, संविधान, वैधानिक, प्राविधान, विधेयक, विधायिका, विधायी आदि शब्द की रचना हुई है। इसी तरह 'नियम' शब्द से उपनियम, अधिनियम, विनिमय, परिनियम आदि शब्दों की रचना हुई है।

4) विधि साहित्य में समास पद्धति द्वारा भी कुछ पारिभाषिक शब्द बनाए गए हैं। जैसे- प्रतिलिप्याधिकार, विशेषाधिकार, स्वत्वाधिकार आदि।

5) विधि एवं न्यायालयीन प्रयुक्ति में कुछ अर्थों या संकल्पनाओं के लिए सामान्य भाषा हिंदी से सर्वथा अलग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे- वैधिक अनुज्ञप्ति (Legal Sanction), निर्वासन (Deportation), वादी (Plaintiff), संविदा (Contract), प्रतिवादी (Defendant) आदि।

6) विधि की प्रयुक्ति में आदरपूर्वक संबोधन में क्रियापद भी एकवचन में होता है। जैसे- (1) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा। (2) भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

7) विधि प्रयुक्ति में कहीं-कहीं वाक्यों को तोड़ा नहीं जाता और लंबे-लंबे वाक्यों का ही प्रयोग किया जाता है। आयकर अधिनियम में कृषि आय की परिभाषा एक वाक्य में है और यह 40 पंक्तियों का वाक्य है। लंबे-लंबे वाक्यों का प्रयोग इस प्रयुक्ति की मुख्य विशेषता है।

8) भारत देश में मुगल काल में अरबी-फारसी प्रधान उर्दू शैली रही है। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी ने राजभाषा का स्थान ले लिया। इसलिए इन सभी भाषाओं का प्रभाव विधि और न्याय क्षेत्र की हिंदी पर पड़ा। आज भी अरबी-फारसी शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। जैसे- दस्तावेज, जमानत, नुकसान, करार, मामला, वसीयत, बर्खास्तगी, मंजुरी, बेदखली, मुकदमा, अदालत, मुआवजा, खारिज आदि।

9) विधि प्रयुक्ति में भी कृत्रिम हिंदी का प्रयोग होता है। उसका प्रयोग अनुवाद की भाषा के रूप में ही होता है। इसकी भाषा अनुवाद युक्त होने के कारण उसका पदविन्यास एवं वाक्यविन्यास सामान्य हिंदी से भिन्न लगता है तथा शब्दप्रयोग भी अटपटा लगता है।

इस प्रकार प्रशासनिक प्रयुक्ति की तरह विधि एवं न्यायालयीन प्रयुक्ति में हिंदी एकार्थक, अभिधात्मक, औपचारिक, अनुवादयुक्त, सूचना प्रधान होती है।

2.5.4 वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयुक्ति

विभिन्न व्यवसायों और काम-धंधों के लिए सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने पर प्रयोजनमूलक हिंदी के कई रूप सामने आते हैं। जैसे-कार्यालयीन हिंदी का क्षेत्र, वाणिज्यिक भाषा का क्षेत्र, जनसंचारी भाषा का क्षेत्र, तकनीकी भाषा का क्षेत्र, जनसंचारी भाषा का क्षेत्र, सामाजिक भाषा का क्षेत्र और साहित्यिक भाषा का क्षेत्र। यह प्रयोजनमूलक हिंदी के छह प्रमुख रूप हैं। तकनीकी भाषा के क्षेत्र के विषय डॉ. राकेश कुमार के अनुसार- ''तकनीकी भाषा का क्षेत्र- यह इंजीनियरी, विज्ञान शास्त्र या चिकित्सा आदि का भाषा रूप है। इसके प्रमुख विषय है- सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, यंत्रिकी, इलेक्ट्रोनिकी, वास्तुकला, ज्योतिष, सांख्यिकी, गणित, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान और इनकी शाखाएँ-उपशाखाएँ, आयुर्विज्ञान, जैव-रसायन, चिकित्सा शास्त्र आदि।''[16]

हिंदी के आरंभ काल में जो विज्ञान और तकनीकी साहित्य की रचना हुई वह मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए साहित्य का अनुवाद था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयुक्ति विस्तृत है, इसके अंतर्गत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, प्राणिशास्त्र, जीवरसायन, कंप्यूटरविज्ञान, कृषिविज्ञान, ज्यामिति, बीजगणित, खगोलिकी, आयुर्विज्ञान, आभियांत्रिकी आदि कई उपप्रयुक्तियाँ हो सकती हैं। विज्ञान और तकनीकी साहित्य को विषयवस्तु और भाषा शैली की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1) उच्चस्तरीय साहित्य जिसमें पाठय्क्रम, संदर्भ ग्रंथ आते हैं। यह साहित्य विशेषज्ञों या अध्ययन-अध्यापन करनेवाले लोगों तक सीमित होते हैं।

2) वह लोकप्रिय साहित्य जो शिक्षित सामान्य पाठकों के लिए होता है। इनमें विषय की जानकारी सरल और गैरतकनीकी भाषा में होती है।

3) वे पुस्तक-पुस्तिकाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ जिनमें अर्धशिक्षित लोगों के लिए मोटी जानकारी देती है जिनका दैनिक जनजीवन में महत्व है। जैसे- विज्ञान क्षेत्र में हुए शोधकार्यों की

मोटी जानकारी, बीमारी से बचाव के बारे में सलाह, परिवार कल्याण से संबंधित बातें, जन-स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, रोगाणुओ से सुरक्षा आदि।

2.5.4.1 वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयुक्ति की विशेषताएँ

वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयुक्ति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है।

1) वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयुक्ति में विषय-वस्तु का महत्व होता है, भाषा शैली का नहीं।

2) वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयुक्ति में अभिधा शब्दशक्ति का ही प्रयोग होता है। लक्षणा एवं व्यंजना का कोई स्थान नहीं होता।

3) वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी में सामान्य भाषा से कुछ खास शब्दों और रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति होती है। रूढ़ीकरण का यह गुण तकनीकी भाषा व्यवस्था का एक भेदक लक्षण है। इनमें भिन्न शास्त्रों के अपने विशेष शब्दकोश होते हे।

4) संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। कठिन संकल्पनाएँ स्पष्ट करने के लिए (x,y,n) प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रतीक और संकेत रोमन, ग्रीक अथवा चिह्नों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे- गणित के प्रतीक साइन (Sin), कोसाइन (Con), लॉग (Log), टेन्जेन्ट (Tan), आदि। स्थिरांक जैसे- पाई (π), जी (g), आदि। किरणों के नाम-अल्फा (α), बीटा किरण (β), गामा किरण (λ)।

5) वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयुक्ति की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली है। जैसे अतिरक्तदाब (Hpertention) गतिज शक्ति (Kinetic energy) उपग्रह (Satelite) अभिकेंद्रीय बल (Centripetal force)

6) वैज्ञानिक सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए भाषिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें गूढ़ या कूट शब्द, संकेताक्षर, रेखाचित्र, प्रतीक शब्द,

गणिमीय फार्मूले, विशिष्ट चिह्न आदि का उपयोग किया जाता है। कुछ रासायनिक सूत्र इस प्रकार हैं- पानी (H_2O), ऑक्सिजन (O_2) कार्बन-डाय ऑक्साईड (CO_2), एथिलीन (CH_2) आदि।

7) विज्ञान क्षेत्र के अविष्कार अधिकतर अंग्रेजी माध्यम से आते हैं अतः इस प्रयुक्ति में काफी अंग्रेजी शब्दों को लिप्यंतरित करके ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे- टेलिस्कोप (Telescope), नेपच्यून (Neptune), कंप्यूटर (Computer), फोकस (Focus) इस प्रयुक्ति में कुछ शब्द अविष्कारकों नाम पर बनाए गए है। जैसे- डार्विनवाद, वोल्टमीटर, एम्पियर, जूल।

8) वैज्ञानिक प्रयुक्ति में कुछ शब्द ऐसे है जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाये गए है। जैसे- सल्फर से सल्फाइड, सल्फेट, क्लोरिन से क्लोराईड, क्लोरेट और क्लोराइट।

9) विज्ञान और तकनीकी भाषा में प्रत्येक शब्द के मानकीकरण की अनिवार्य आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयुक्ति में औपचारिक शैली, प्रतीक, सूत्र, संकेताक्षर, पारिभाषिक शब्दावली आदि प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसमें भाषा एकार्थक, अभिधात्मक, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, सूचनापरक होती है।

2.5.5 वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति

वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति वाणिज्य, बैंक या मंडियों का भाषा रूप है। इसके अंतर्गत आनेवाले प्रमुख विषय बैंकिग, बीमा, उद्योग, शेयर बाजार, किराना बाजार तथा अन्य सभी प्रकार के वाणिज्य-व्यापार हैं। प्रो. संजय धोटे के अनुसार- ''वर्तमान युग एवं समाज, संचार क्रांति एवं बाजारीकरण का युग है। भारत विश्व के विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय केंद्र बन गया है। ऐसे में वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी क्षेत्र अति विस्तृत है।''[17]

वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने की संपूर्ण गतिविधियाँ आती हैं। आज उपभोक्ता सामग्री बनाने वाली अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वस्तुओं के साथ दी जानेवाली जानकारी हिंदी में दे रही हैं। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के बाज़ार का बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ व्यापार के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपना रही है। वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति के तीन मुख्य क्षेत्र हैं- वित्तीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक।

2.5.5.1 वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति की विशेषताएँ

वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1) वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति में भाषा सहज, औपचारिक, अभिधात्मक और रोचक होती है।

2) वाणिज्यिक प्रयुक्ति के व्यावसायिक पत्रों की मुख्य विशेषता सरलता, सुबोधता, संक्षिप्तता एवं विनम्रता होती है।

3) वाणिज्यिक प्रयुक्ति की पारिभाषिक शब्दावली काफी भिन्न होती है। जैसे-लाभांश, भुगतान-संतुलन, सूचकांक, वस्तु-विनिमय, तेजड़िया आदि। कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे भी है जिनका प्रयोग प्रशासनिक प्रयुक्ति में भी होता है। जैसे- पंजीकरण, माँगपत्र, संविदा, शुल्क, अनुज्ञप्ति, अग्रिम आदि।

4) वाणिज्यिक प्रयुक्ति में अंग्रेजी शब्दों को स्वीकार किया गया है। जैसे- बँक, स्टॉक, काऊंटर, बिल, बजट, शेयर, कंपनी, लिमिटेड, टोकन, कोटा, ड्राफ्ट, चेक, लाईसेंस आदि।

5) वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति में अरबी-फारसी के कई शब्द आये हैं। जैसे- बाजार, आमदनी, किस्म, खजाना, कीमत, खाना, नमूने, दफ्तर आदि।

6) उपसर्ग और प्रत्ययों से बने शब्द भी इस प्रयुक्ति में आते हैं। जैसे- अधिकार, अधिकरण, उपभोक्ता, प्राधिकार, निवेश, आपूर्ति, निवेश, विक्रय आदि।

7) वाणिज्यिक प्रयुक्ति के क्रियापदों की भाषा में हिंदी के मानक रूप से विचलित प्रयोग दिखाई देता है। वाणिज्य क्षेत्र के समाचार में तेजी, उछाल, लुढ़का, टूटा, गिरी, नरमी, मंदी, मजबूत, सूरज, ठंडी, छलाँग, चढ़ा, गिरावट, सुर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग क्रियापदों में होता है। उदाहरण- (1) आज बाज़ार सुस्त रहा। (2) चावल और दाल नरम रहे।

8) शेयर बाजार में कंपनी शेयरों, नैगमिक और राजकीय प्रतिभूतियों की खरीदी बिक्री होती रहती है। सर्राफा बाज़ार में सोना चाँदी का करोबार होता है। बाजार-भाव, शेयर, सर्राफ आदि के भाव प्रतिदिन बदलते रहते हैं। इन बाजार भावों के रूख का संकेत अंकों के द्वारा दिया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन यह कह सकते हैं कि वाणिज्यिक प्रयुक्ति वाणिज्य-व्यापार क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है। यह प्रयुक्ति आकर्षिक, सहज, रोचक, अभिधात्मक एवं औपचारिक होती है।

2.5.6 विज्ञापन संबंधी प्रयुक्ति

हिंदी की प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के रूप में विज्ञापन की भाषा तेजी से उभरकर सामने आयी है। जनसंचार के विभिन्न माध्यम- आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म तथा समाचार पत्र आदि हैं। इन माध्यमों से विज्ञापन का विशेष स्थान है। यह अंग्रेजी के एडवरटाइजमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद है। एडवरटाइजमेंट का शाब्दिक अर्थ है- ध्यान दिलाना। डॉ. विनोद गोदरे के अनुसार- ''विज्ञापन शब्द का अर्थ है- विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु अर्थात् किसी वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना। वाणिज्य की शब्दावली में इसका अर्थ होगा- किसी वस्तु के विक्रम के लिए ग्राहकों का ज्ञान खींचना अथवा उनको आकर्षित करना।''[18]

विज्ञापन आधुनिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। आज विज्ञापन एक प्रयुक्ति के रूप में उभर रहा है। मुख्य रूप से माध्यम की दृष्टि से विज्ञापन के प्रचार-प्रसार के

तीन मुख्य तीन प्रकार माने जाते हैं- (1) समाचारपत्र-पत्रिकाएँ (2) रेडियो (3) दूरदर्शन या सिनेमा। दूरदर्शन और सिनेमा द्वारा प्रसारित होनेवाले विज्ञापन मोहक, आकर्षक एवं सजीव होते हैं।

2.5.6.1 विज्ञापन संबंधी प्रयुक्ति की विशेषताएँ

विज्ञापन संबंधी प्रयुक्ति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1) विज्ञापन में कम से कम समय में अधिक संदेश देना होता है। इसमें लंबे वाक्य नहीं होते। बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पद्यात्मकता, रागात्मकता, तुकबंदी, समानांतरता, विज्ञापनों की सामान्य विशेषता है। ध्वनीय, शब्दीय, वाक्यीय समानांतरता का प्रयोग बहुत होता है।

   जैसे- बँक ऑफ इंडिया-रिश्तों की जमापुंजी

   विक्स जंबो- खिच-खिच से लंबा आराम

2) विज्ञापन प्रयुक्ति में विचलित प्रयोग अर्थात् सामान्य भाषा के मान्य व्याकरणिक नियमों का अतिक्रमण होता है। विज्ञापन की भाषा सरल, रोचक एवं स्पष्ट होती है। जैसे- सफेदी की चमकार-बार-बार, लगातार टाईड से। इसमें 'चमकार' हिंदी का प्रचलित शब्द नहीं है लेकिन आवश्यकता होने पर गढ़ लिया गया है।

3) आज विज्ञापनों में अंग्रेजी मिश्रित शैली की बहुलता दिखाई देती है। जैसे-

   टाटा स्काय- इसको लगा डाला तो Life झिंगालाला

   इक्लेअर- चॉकलेट का मीठा Bomb

   क्रॅकजॅक- टेस्ट का डबल रोल Sweet भी Salty भी

4) हिंदी विज्ञापनों में 'क्रियाहीन वाक्यों का प्रयोग' एक मुख्य विशेषता है। जैसे-

डीएलएफ आयपीएल- सबसे बड़ा टिकीट

घड़ी डिटर्जंट पावडर- पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें

कोलगेट- सड़न से सुरक्षा कोने कोने तक

5) विज्ञापन संबंधी प्रयुक्ति में मिश्रवाक्यों का प्रयोग अधिक पाया जाता है। विज्ञापित वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरे से तुलना करके ग्राहकों को प्रभावित करने की शैली विज्ञापनों में देखी जाती है। जैसे- डव शाम्पू- अन्य आम शाम्पू से ज्यादा असरदार।

6) विज्ञापन प्रयुक्ति में एक महत्वपूर्ण घटक 'विशेषण' होता है। वस्तु की विशेषता बताने के लिए कभी एक, दो या तीन विशेषणों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे- घने, मुलायम और स्वस्थ बालों का राज-शिकेकाई साबुन

उपर्युक्त विवेचन से संक्षेप में कह सकते हैं कि विज्ञापन संबंधी प्रयुक्ति में व्याकरणिक नियमों का अतिक्रमण, सामान्य बोलचाल के शब्द, अंग्रेजी मिश्रित शैली, समानांतरता का प्रयोग, स्पष्ट एवं रोचकता आदि मुख्य विशेषताएँ हैं।

2.5.7 पत्रकारिता संबंधी प्रयुक्ति

पत्रकारिता एक ऐसा साधन है जो देश-विदेश की स्थिति एवं गतिविधियों से हमें परिचित करता है। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार तथा विकास में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक युग में समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन ये तीन जनसंपर्क के लिए महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

हिंदी भाषी क्षेत्र में उपलब्ध समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संप्रेषण के आधार पर संपर्क बनाए रखना है। पत्र-पत्रिकाओं में व्यक्त विषय के बारे में कोई सीमा-बंधन नहीं होता है। किसी भी तकनीकी या विशिष्ट विषय, जैसे-खेलकूद, बाजार-भाव, कला, साहित्य, रोजगार, स्वास्थ्य आदि के संबंधी सामग्री के बारे में लिखा जाता है।

डॉ. धर्मवीर भारती ने पत्रकारिता की परिभाषा करते हुए लिखा है- ''पत्रकारिता केवल खबरें इकट्ठा करना और छापना मात्र नहीं है। वह मनुष्य और मनुष्य के बीच का संप्रेषण सामायिकता और इतिहास की संपूर्ण गति से जोड़ने का प्रयास है और कुल मिलाकर समाज के बाहरी विवरण के साथ-साथ उसके आंतारिक अर्थ को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास है और बनते हुए इतिहास को मानवीय मूल्य-मर्यादा की ओर मोड़ते रहने का अनवरत साधन है।''[19]

घटित घटनाओं को पूरे समाज तक पहुँचाने काम पत्रकारिता करती है। पत्रकारिता का केंद्र समाज है जहाँ से वह खबरें ग्रहण करती है। जैसे-जैसे विभिन्न रूपों में मानव जीवन बदलता है, वैसे-वैसे पत्रकारिता का स्वरूप भी बदलता है। मानव-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार पत्रकारिता के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं।

1) खोजी पत्रकारिता।
2) खेल पत्रकारिता।
3) संदर्भ पत्रकारिता।
4) ग्रामीण जीवन पर आधारित पत्रकारिता।
5) आर्थिक पत्रकारिता।
6) रेडिओ पत्रकारिता।
7) नारी जीवन से जुडे.विषयों पर आधारित पत्रकारिता।
8) स्वास्थ्य पत्रकारिता।
9) फोटो पत्रकारिता।
10) टेलिविजन पत्रकारिता।
11) संसद एवं विधान सभाओं से संबंधित विषयों की पत्रकारिता।
12) विदेश नीति के विषयों की पत्रकारिता।
13) साहित्यिक पत्रकारिता।
14) बाज़ार की गतिविधियों की पत्रकारिता।
15) विकासमूलक पत्रकारिता।
16) फिल्म और मनोरंजन विषयों से संबंधित पत्रकारिता।

2.5.7.1 पत्रकारिता संबंधी प्रयुक्ति की विशेषताएँ

पत्रकारिता संबंधी प्रयुक्ति की विशेषताएँ निम्नलिखित है।

1) पत्रकारिता की भाषा के दो मुख्य गुण भाषा की स्पष्टता और शुद्धता है। सरल, सहज, स्पष्ट पर वैविध्यपूर्ण यह इस प्रयुक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता है।

2) दूरदर्शन रेडियो या अखबार में कोई समाचार या सूचना देने के लिए पत्रकार के सामने समय का बंधन होता है। सूचनाओं को तत्काल भाषा में अभिव्यक्त करने की बाध्यता रहती है।

3) विषयानुरूप भाषा का चयन और उसका शुद्ध प्रयोग यह दो पत्रकारिता की सफलता के महत्वपूर्ण सोपान हैं।

4) पत्रकारिता की शब्द-संपदा में परंपरागत तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ पारिभाषिक, देशी-विदेशी एवं संकर शब्दों के रूपों का प्रयोग होता है। अपराध समाचारों में अरबी-फारसी शब्दों का काफी प्रयोग मिलता है। जैसे- वारदात तलाशी, गिरफ्तारी, फरार, बरामद, नजरबंद, जमानत, रिहाई, जुर्माना, ज्यादती आदि। अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे- वारंट, रिपोर्ट, रिमांड, लाइसेंस, मोटर, ट्रेन, मशीन, पासपोर्ट, कर्फ्यू, बोगस आदि। बोलचाल की ठेठ शब्दावली के शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे- झडप, धपला, ठप्प, लूटमार, हथकंडे, घोटाला, भगदड़ आदि।

5) देश के सर्वोत्तम समाचार अभिकरण अंग्रेजी में ही समाचार संप्रेषित करते हैं। इसलिए हिंदी समाचारपत्रों को अंग्रेजी का अनुवाद करना पड़ता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पत्रकारिता संबंधी प्रयुक्ति में बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग, अनुवाद की भाषा, लचीलापन, मिश्रित रूप आदि विशेषताएँ देखी जाती है।

2.5.8 खेलकूद संबंधी प्रयुक्ति

किसी भी भाषा के विभिन्न रूप उस भाषा के प्रयोजनमूलक विभिन्न रूप होते हैं। भोलानाथ तिवारी ने हिंदी के मुख्य प्रयोजनमूलक रूप सात बताये हैं- बोलचाल की हिंदी,

व्यापारी हिंदी, कार्यालयी हिंदी, शास्त्रीय हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजी हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी। भोलानाथ तिवारी के अनुसार- ''साहित्य और उनमें भी विभिन्न साहित्यिक विधाओं, संगीत, आभूषणों के बाजारों, कपड़े के बाजारों, विभिन्न प्रकार के सट्टा बाजारों, समाचार-पत्रों, धातुओं आदि के क्रय-विक्रय की दुनिया, फिल्मों, चिकित्सा-व्यवसाय, खेतों-खलिहानों, विभिन्न शिल्पों और कलाओं, विभिन्न कसरतों, खेलों के अखाड़ों, कोर्ट और मैदानों इत्यादि में; पर प्रयुक्ति हिंदी पूर्णतः एक नहीं है। ये सारे हिंदी के अलग-अलग प्रयोजनमूलक रूप हैं।''[20]

खेलकूद का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। खेलकूद संबंधी प्रयुक्ति का अपना एक विशिष्ट रूप है। खेलकूद की हिंदी का स्वरूप बोलचाल की हिंदी में भिन्न होता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेडमिंटन, टेनिस, ब्रिज, कबड्डी, घुड़दौड आदि सभी खेलों की शब्दावली एवं वाक्य रचना में विविधता होती है। डॉ. कमलकुमार बोस के अनुसार- ''खेल-कूद की प्रयुक्ति के संदर्भ में हिंदी में हमें सलामी बल्लेबाज, मुक्केबाज, निर्णायक टेस्ट पारी, साझेदारी, छक्का, चौका, बढ़त लेना, गोल लगाना, पकड़ मजबूत होना जैसे भाषा-प्रयोग भी मिलते हैं, जो अन्य किसी प्रयुक्ति में प्रयुक्त नहीं होते।''[21]

2.5.8.1 खेलकूद संबंधी प्रयुक्ति की विशेषताएँ

खेलकूद संबंधी प्रयुक्ति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1) खेलकूद की प्रयुक्ति में अभिधा शब्दशक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थपूर्ण संक्षिप्त वाक्य लिखे जाते हैं। सरल, सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है।

2) खेलकूद की प्रयुक्ति की अपनी अलग पारिभाषिक शब्दावली होती है। यह हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली होती है। जैसे- चौका, छक्का, गोलाफेंक, भालाफेंक, शृंखला, क्षेत्ररक्षण आदि।

3) खेलकूद की प्रयुक्ति में हिंदी के साथ कुछ विदेशी शब्द भी आ गए है। जैसे- जापान से जूड़ो, कराटे ; अंग्रेजी से हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन ; रूसी से कबड्डी ; जापान से खो-खो।

4) खेलकूद की भाषा को रोचक बनाने के लिए कभी-कभी मुहावरों का प्रयोग होता है। जैसे- धूल चटाना, तारे दिखाना, आसमान दिखाना, जमीन सुँघाना, पासा पलटना आदि। मुहावरे का उदाहरण निम्नलिखित है- एकदिवसीय क्रिकेट मैच में सचिन ने २०० रन का रेकॉर्ड करके दक्षिण आफ्रिका को दिन में तारे दिखा दिए।

5) खेलकूद की भाषा में कुछ विचलित प्रयोग भी हिंदी में दिखाई देते हैं। जैसे- धुआँधार बल्लेबाजी। 'धुआँधार' विशेषण का प्रयोग 'वर्षा' के लिए होता है। पर यहाँ बल्लेबाजी के लिए किया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खेलकूद की हिंदी सरल, सहज, स्पष्ट, रोचक, औपचारिक एवं अभिधात्मक है।

2.5.9 बोलचाल संबंधी प्रयुक्ति

बोलचाल की हिंदी का प्रयोग दैनिक जीवन में संप्रेषण के माध्यम के रूप में किया जाता है। बोलचाल के माध्यम के रूप में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में औद्योगिक केंद्र, ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन केंद्र, रेल्वे प्लेटफॉर्म, तीर्थ स्थल आदि स्थानों में प्रयुक्ति होती हैं। डॉ. हीरालाल बाछोतिया के अनुसार ''हिंदी भाषा के अन्य रूपों को अलग कर देखने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हिंदी के ये रूप देखे जा सकते हैं : (क) सामान्य हिंदी, (ख) साहित्यिक हिंदी, (ग) व्यावसायिक हिंदी।

(ख) सामान्य हिंदी

व्यक्तिगत स्तर प्रयुक्ति हिंदी का बोलचाल का रूप ही सामान्य हिंदी है। इसकी स्थिति मूलतः हिंदी के मातृभाषिक क्षेत्र जैसे दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इनमें ऐसे भी क्षेत्र हैं जो सीधी तरह हिंदी क्षेत्र नहीं कहे जा सकते किंतु अनेक कारणों से मातृभाषिक क्षेत्र की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता आदि शहरों में भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी आपस में टूटी-फूटी हिंदी में ही

बातचीत करते हैं। बनारसी हिंदी, लखनवी हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि स्थानीय प्रयोगपरक रूप में चलते अलग-अलग नामों से पुकारी जाती है।''[22]

बोलचाल की हिंदी के अनेक रूप हैं। बोलचाल की हिंदी का स्वरूप, समुदाय और क्षेत्र के अनुसार निम्न रूपों में विभाजन किया जा सकता हैं-

(1) बंबइया हिंदी : बंबई में आपसी संप्रेषण के लिए बंबइया हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बंबइया हिंदी पर मराठी, गुजराती, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी आदि भाषाओं और बोलियों का प्रभाव है। शैलेश मटियानी का उपन्यास 'कबुतर खाना' और जगदंबा प्रसाद दीक्षित का उपन्यास 'मुरदाघर' बंबइया हिंदी के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं- (1) अपुन के पास ज्यादा टेम नहीं। (2) अक्खा मुंबई भाई से डरता है। (3) ज्यादा फेक रेला है। इन वाक्यों में 'अपुन', 'अक्खा', 'फेक रेला' जैसे प्रयोग बंबइया हिंदी में काफी प्रचलित हैं।

(2) दिल्ली की हिंदी : 'दिल्ली की हिंदी' किसी की मातृभाषा नहीं है। यह केवल बोलचाल की भाषा है। दिल्ली की हिंदी पर पंजाबी और हरियाणवी का प्रभाव है। दिल्ली में प्रायः इसी बोलचाल का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है- (1) मेरे माताजी गाँव चले गए। (2) मैंने आज फिल्म देखना है। (3) मैंने रात की गाड़ी से धुलिया जाना है। दिल्ली की हिंदी में पंजाबी के प्रभाव के कारण लिंग का अन्वितिबोधक लक्षण नहीं होता। उपर्युक्त वाक्य में 'मेरी माताजी' की जगह 'मेरे माताजी' का प्रयोग किया है। हरियाणवी के प्रभाव के कारण 'मैंने जाना है', 'मैंने देखना है' जैसे वाक्य काफी प्रचलित हैं।

(3) कोलकत्ता की हिंदी : कलकत्ता की हिंदी पर बंगला का प्रभाव है। कलकत्ता में कुछ लोग हिंदी क्षेत्र के भोजपुरी प्रदेश आये हैं, इसलिए उनका भी प्रभाव इस हिंदी पर है। कलकत्ता में बंगला के बाद इसी का प्रयोग अधिक होता है। कलकत्ता की हिंदी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है- (1) पेड़ों को काटना यह तुम्हारा बहुत बड़ी गलती है। इस वाक्य में 'तुम्हारी' की जगह 'तुम्हारा' शब्द का प्रयोग किया गया है। (2) निखिल ने सत्य बात बोला है। इस वाक्य में 'बोली है' की जगह 'बोला है' शब्द का प्रयोग किया गया है।

(4) हैदराबाद की हिंदी : हैदराबाद की हिंदी पर दक्षिणी भाषाओं का प्रभाव है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं- (1) तुम्हारे को यहाँ क्या होना ? (आपको यहाँ क्या चाहिए ?) (2) आज आए सो आदमी कौन है ? (आज जो आदमी आए थे कौन है ?) (3) मेरे को क्या भी नको। (मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।) हैदराबादी हिंदी में सो, 'नहीं' के स्थान पर 'नको', 'चाहिए' के स्थान पर 'होना', शब्द का प्रयोग काफी प्रचालित हैं।

(5) ऐंग्लो हिंदी : आजकल अंग्रेजी-मिश्रित हिंदी का प्रयोग बोलचाल में किया जाने लगा है। यह शिक्षित वर्ग के संप्रेषण की भाषा बन गयी है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं- (1) सुजाता, कॉलेज की फर्स्ट इयर की स्टुडेंट है। (2) उसने जयकर ग्रंथालय से किताब इशू कर ली है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी की विविधता उसकी शैलियों, बोलियों, प्रयुक्तियों और विभिन्न महानगरों की हिंदी से भी है।

2.5.9.1 बोलचाल संबंधी प्रयुक्ति की विशेषताएँ

1) बोलचाल की हिंदी में अभिधा, लक्षणा या व्यंजना शब्दशक्ति का प्रयोग होता है।

2) बोलचाल की हिंदी में भाषा का सामान्य रूप होता है। भाषा में सहजता, स्वाभाविकता दिखाई देती है।

3) बोलचाल की हिंदी में बिंब और प्रतीकों का भी प्रयोग होता है।

4) बोलचाल की हिंदी में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे- (1) माँ ने गरीबी की वजह से अपने बेटे को पेट काट-काट कर पढ़ाया। इस वाक्य में 'पेट काटना' मुहावरे का प्रयोग किया गया है। (2) वह तो एक धनी बाप का इकलौता पुत्र है और तुम एक मजदूर के पुत्र ही, तुम्हारी दोस्ती कैसी ? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस वाक्य में 'कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली' लोकोक्ति (कहावत) का प्रयोग किया गया है। इस कहावत से तात्पर्य है, छोटों की बड़ों से समानता नहीं हो सकती।

मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश के साथ जुड़कर अपना भाव प्रकट करती है। जबकि कहावत अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होती है। उनका अलग से प्रयोग किया जाता है। जैसे- नाम बडे. और दर्शन छोटे, अपना हाथ जगन्नाथ का भात, आसमान से गिरा खजूर में अटका

6) बोलचाल की हिंदी में वाक्य छोटे-छोटे होते हैं। उनका लक्ष्य होता है कम समय में सरल भावों तथा विचारों को व्यक्त करना।

उपर्युक्त विवेचन से कह सकते हैं कि बोलचाल की प्रयुक्ति में सहजता, स्वाभाविकता, बिंब तथा प्रतीकों प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। इसके अभिधा, लक्षण एवं व्यंजना तीनों शब्दशक्ति का प्रयोग मिलता है।

3.6 निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग को प्रयुक्ति या रजिस्टर कहते हैं। हिंदी भाषा की विविध प्रयुक्तियाँ होती हैं। साहित्यिक, प्रशासनिक, विधि एवं न्यायालयीन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक, विज्ञापन संबंधी, पत्रकारिता संबंधी, खेलकूद संबंधी, बोलचाल संबंधी आदि हिंदी की महत्वपूर्ण प्रयुक्तियाँ मानी जाएगी।

जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति में लाई जानेवाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। भाषा के दो पक्ष या प्रकार्य होते हैं। एक का संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूति से होता है। भाषा व्यवहार का दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक संदर्भ है। इसका संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा होता है। जो सेवा-माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा-माध्यम के रूप में सामने आते हैं।

हिंदी के प्रत्येक प्रयुक्ति की अलग-अलग विशेषताएँ है। प्रशासनिक, विधि एवं न्यायालयीन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक, पत्रकारिता तथा खेलकूद

संबंधी प्रयुक्ति में अभिधाशक्ति का प्रयोग होता है। साहित्यिक, विज्ञापन तथा बोलचाल संबंधी प्रयुक्ति में लक्षणा एवं व्यंजना का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रयुक्ति की मानकता भी अलग-अलग होती है। साहित्यिक प्रयुक्ति में सर्जनात्मक सौंदर्य और अर्थ लालित्य होता है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयुक्ति में विभिन्न पारिभाषिक शब्दावली का महत्व होता है। प्रशासनिक, विधि एवं न्यायालयीन और वैज्ञानिक एवं तकनीकी की हिंदी कृत्रिम रूप से प्रत्यारोपित और अंग्रेजी पाठ का अनुवाद बन गयी है। साहित्यिक, बोलचाल, विज्ञापन और पत्रकारिता में हिंदी का सहज एवं सामान्य रूप देखा जा सकता है। प्रशासनिक, साहित्यिक, विधि एवं न्यायालयीन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक प्रयुक्ति की भाषा में परस्पर होने के बावजूद कुछ शब्दों का आदान-प्रदान होता है।

प्रशासनिक प्रयुक्ति में राजभाषा हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। देश की राजभाषा के पद पर आसीन होने के साथ उसे अभिव्यक्ति और प्रयुक्ति के अनेक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ा और एक महत्वपूर्ण प्रयुक्ति के रूप में 'राजभाषा हिंदी' विकसित होकर सामने आयी। राजभाषा हिंदी के मूलभूत तत्वों में उसकी पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली, अनुवाद की प्रवृत्ति, विशिष्ट वाक्य-विन्यास तथा भाषिक संरचना आदि प्रमुख हैं। राजभाषा हिंदी की प्रयुक्ति के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग, कार्यालय, संस्थान, निगम, कंपनी, बीमा, बैंक, आयोग तथा समितियाँ आती हैं। राजभाषा हिंदी की प्रयुक्ति कार्यालयीन पत्राचार में अत्यधिक उपयोगी है। जैसे- मसौदा लेखन, पत्राचार के विभिन्न रूप, संक्षेपण अथवा सार लेखन तथा प्रतिवेदन।

इस प्रकार हिंदी की हर प्रयुक्ति मानव जीवन के लिए उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

(1) प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयुक्तिपरक विश्लेषण, दिलीपसिंह, गवेषणा, वर्ष-34, अंक-67-68/ 1996, प्रयोजनमूलक हिंदी विशेषांक, पृ. 31

(2) हिंदी का सामाजिक संदर्भ, संपा. डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, डॉ. रमानाथ सहाय, पृ. 270

(3) प्रयोजनमूलक हिंदी : सिद्धांत और प्रयोग, डॉ. दंगल झाल्टे, पृ. 69

(4) भाषाविज्ञान, भोलानाथ तिवारी, पृ. 517

(5) हिंदी का सामाजिक संदर्भ, डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, पृ. 20

(6) प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य, संपा. प्रो. पूरनचंद्र टंडन, पृ. 44

(7) प्रयोजनमूलक हिंदी, कमलकुमार बोस, पृ. 35

(8) हिंदी के प्रयुक्तिपरक आयाम, डॉ. व्रजेश्वर वर्मा, पृ. 1

(9) वही, पृ. 1

(10) महादेवी वर्मा की रहस्यभावना, डॉ. धनंजय पी. चौहान, सांकल्य, वर्ष-35, अंक-2-3, अप्रैल-सितबर, 2007 , पृ. 37

(11) राजपाल लोकोक्ति कोश, हरिवंशराय शर्मा, पृ. 37

(12) कामायनी का सौंदर्यदर्शन, डॉ. मुक्ता, राजभाषा भारती, अंक-124, वर्ष-31, जनवरी- मार्च, 2009, पृ. 20

(13) राजभाषा हिंदी, भोलानाथ तिवारी, पृ. 71

(14) प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोजन : उसके विविध आयाम तथा संभावनाएँ, डॉ. पूरनचंद्र टंडन, मैसूर हिंदी प्रचार, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद पत्रिका, जनवरी, 2010, वर्ष-40, अंक-3, पृ. 21

(15) विधि के क्षेत्र में हिंदी, डॉ. बसंतीलाल बाबेल, राजभाषा भारती, अंक-118, वर्ष-30, जुलाई-सितंबर, 2007, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 9

(16) प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध आयाम, डॉ. राकेशकुमार शर्मा, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद पत्रिका, जनवरी, 2010 वर्ष 40, अंक- 11, पृ. 20

(17) प्रयोजनमूलक हिंदी : आवश्यकता एवं प्रयोग-क्षेत्र, प्रो. संजय धोटे, राजभाषा भारती, अंक-112, वर्ष-28, जनवरी-मार्च, 2006, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 14

(18) प्रयोजनमूलक हिंदी, डॉ. विनोद गोदरे, पृ. 193

(19) प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप, डॉ. राजेंद्र मिश्र-राकेश शर्मा, पृ. 97

(20) प्रयोजनमूलक हिंदी, भोलानाथ तिवारी, प्रयोजनमूलक हिंदी (संकलन) संपा. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, पृ. 114

(21) प्रयोजनमूलक हिंदी, कमलकुमार बोस, पृ. 37

(22) हिंदी शिक्षण : संकल्पना और प्रयोग, डॉ. हीरालाल बाछोतिया, पृ. 83

[१] प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयुक्तिपरक विश्लेषण, दिलिपसिंह, गवेषणाः वर्ष ३४, अंक- ६७-६८/ १९९६, प्रयोजनमूलक हिंदी विशेषांक, पृ. ३१

[२] हिंदी का सामाजिक संदर्भ, संपा. डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, डॉ. रमानाथ सहाय, पृ. २७०

[३] प्रयोजनमूलक हिंदी : सिद्धांत और प्रयोग, डॉ. दंगल झाल्टे, पृ. ६९

[४] भाषाविज्ञान, भोलानाथ तिवारी, पृ. ५१७

[५] हिंदी का सामाजिक संदर्भ, डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, पृ. २०

[६] प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य, संपा. प्रो. पूरनचंद्र टंडन, पृ. ४४

[७] प्रयोजनमूलक हिंदी, कमलकुमार बोस, पृ. ३५

[८] हिंदी के प्रयुक्तिपरक आयाम, डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा, पृ. १

[९] उपरिवत्, पृ. १

[१०] महादेवी वर्मा की रहस्यभावना, डॉ. धनंजय पी. चौहान, संकल्य-वर्ष ३५, अंक : २-३, अप्रैल-सितबर, २००७ ई., पृ. ३७

[११] राजपाल लोकोक्ति कोश, हरिवंशराय शर्मा, पृ. ३७

[१२] कामायनी का सौंदर्यदर्शन, डॉ. मुक्ता, राजभाषा भारती अंक १२४, वर्ष ३१, जनवरी- मार्च २००९, पृ. २०

[१३] राजभाषा हिंदी, भोलानाथ तिवारी, पृ. ७१

[१४] प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोजन : उसके विविध आयाम तथा संभावनाएँ- डॉ. पूरनचंद्र टंडन, मैसूर हिंदी प्रचार, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद पत्रिका, जनवरी, २०१०, वर्ष- ४०, अंक- ३, पृ. २१

[१५] विधि के क्षेत्र में हिंदी, डॉ. बसंतीलाल बाबेल, पृ. ९ राजभाषा भारती, अंक ११८, वर्ष ३०, जुलाई-सितंबर, २००७ राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

[१६] प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध आयाम, डॉ. राकेशकुमार शर्मा, पृ. २० मैसूर हिंदी प्रचार परिषद, जनवरी, २०१० वर्ष ४०, अंक- ११

[१७] प्रयोजनमूलक हिंदी : आवश्यकता एवं प्रयोग-क्षेत्र प्रो. संजय धोटे, पृ. १४, राजभाषा भारती, अंक- ११२, वर्ष- २८ जनवरी-मार्च २००६, राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

[१८] प्रयोजनमूलक हिंदी, डॉ. विनोद गोदरे, पृ. १९३

[१९] प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप, डॉ. राजेंद्र मिश्र, राकेश शर्मा, पृ. ९७

[२०] प्रयोजनमूलक हिंदी, भोलानाथ तिवारी, पृ. ११४, प्रयोजनमूलक हिंदी (संकलन) संपा. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव,

[२१] प्रयोजनमूलक हिंदी, कमलकुमार बोस, पृ. ३७

[२२] हिंदी शिक्षण : संकल्पना और प्रयोग, डॉ. हीरालाल बाछोतिया, पृ. ८३